भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2021

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवैध अंग प्रत्यारोपण का गिरोह

2021. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अवैध अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती प्रवृत्तियों का भंडाफोड़ करने पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों और घरेलू रोगियों के संबंध में रिपोर्ट किए गए अंग प्रत्यारोपण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अवैध अंग प्रत्यारोपण के गिरोह से निपटने के लिए कोई नीति अपनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अवैध प्रत्यारोपण के अधिक मामलों वाले राज्यों की निगरानी और विनियमन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' और 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य से संबंधित विषय हैं। इसलिए अंग व्यापार के रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने और इसकी निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में प्रत्येक राज्य द्वारा इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के संबंध में किसी भी शिकायत अथवा उल्लंघन की जांच के लिए एक समुचित प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य के समुचित प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत अभियोजन चलाने के लिए एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। जब भी इस मंत्रालय में अंग व्यापार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस मंत्रालय में तत्संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अवैध अंग प्रत्यारोपण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो), एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है, जिसे टीएचओटीए 1994 के तहत केंद्रीय सरकार को दिए गए अधिदेश के अनुसरण में अंगों और ऊतकों के प्रापण और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने और देश में अंग दान और प्रत्यारोपण की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री रखने के लिए स्थापित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण या पुनर्प्राप्ति करने वाले प्रत्येक अस्पताल को राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) की वेबसाइट से जोड़ा जाना चाहिए और प्रत्यारोपण के मृतक और जीवित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं से संबंधित डेटा को नोट्टो द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अपलोड किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मानव अंग के प्रत्येक दाता और प्राप्तकर्ता के पास, मृतक और जीवित दाता प्रत्यारोपण दोनों मामलों में, एक विशिष्ट नोट्टो आईडी होगी और जिसे संबंधित अस्पतालों द्वारा तैयार किया जाएगा।
- नोट्टो, क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो), राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो) और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मानव अंगों और ऊतक प्रत्यारोपण के अधिनियम तथा नियमों से संबंधित प्रावधानों के बारे में सूचना के प्रसार हेतु देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि लोगों को विधि द्वारा अनुमत अंग दान की सरकारी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया और अंग व्यापार में संलिप्तता से जुड़ी अवैधता और इसके परिणामों के बारे में भी जानकारी मिल सके जिससे उनके लिए विधिक प्रावधानों का अनुपालन करना सरल हो सके।
- सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए), 1994 के प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार समिति गठित करने की सलाह दी गई है, ताकि अवैध अंग प्रत्यारोपण कार्यकलापों को नियंत्रित करने के अपने कार्यों के निर्वहन में समुचित प्राधिकरण को सहायता और सलाह दी जा सके।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद, विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में सभी दूतावासों/विदेशी मिशनों को एक मौखिक नोट परिचालित किया गया है, जिसमें उन्हें भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि विदेशियों से जुड़े अवैध अंग प्रत्यारोपण को रोका जा सके। विदेशियों से जुड़े प्रत्यारोपण संबंधी नियमों को विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया है, ताकि विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके तथा इससे संबंधित जानकारी को पत्तनों और हवाई अड्डों पर भी प्रदर्शित किया गया है।
- भारत में प्रत्यारोपण को विनियमित करने वाले विशिष्ट नियम, दिशा-निर्देश और कानूनी आवश्यकताएं भारत में स्थित सभी विदेशी राजनयिक मिशनों को उनकी जानकारी के लिए और भारत में प्रत्यारोपण उपचार की मांग रखने वाले अपने-अपने नागरिकों तक आगे प्रसार के लिए प्रसारित की गई हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों और घरेलू रोगियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नोट्टो को सूचित किए गए अंग प्रत्यारोपणों की संख्या, वर्ष-वार निम्न तालिका में दी गई है:

वर्ष	**अंतर्राष्ट्रीय रोगी**		**घरेलू रोगी**		
	जीवित प्रदाता प्रत्यारोपण	**मृतक प्रदाता प्रत्यारोपण**	**जीवित प्रदाता प्रत्यारोपण**	**मृतक प्रदाता प्रत्यारोपण**	**कुल**
2021 (कोविड महामारी अवधि)	सूचित शून्य	सूचित शून्य	10640	1619	12259
2022	902	4	12445	2690	16041
2023	1842	9	13601	2926	18378
2024* (30सितंबर तक)	1066	9	11673	2410	15158

* वर्ष 2024 का डाटा राज्यों/संस्थाओं से अपडेट मिलने तक परिवर्तन के अधीन है

*****